प्ररूप सं. 3कग

[नियम 5कग *देखिए*]

धारा 33कख(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

भाग 1

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33कख(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है

*मुझे/हमें यह रिपोर्ट करना है कि...

[निर्धारिती का नाम और पता] [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]

की कानूनी संपरीक्षा *मेरे/हमारे/मैसर्स...द्वारा.. अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में की गई है, और *मैं/हम तारीख..........................को समाप्त हुए वर्ष के संपरीक्षित *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी की एक-एक प्रति के साथ तारीख........................की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति और साथ ही सुसंगत अधिनियम द्वारा लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र का भाग या संलग्नक घोषित किए गए दस्तावेजों को और तारीख ....को यथा विद्यमान संपरीक्षित तुलन-पत्र की एक प्रति संलग्न *करता हूँ/करते हैं।

धारा 33कख(2) के परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित आगे की रिपोर्ट इस प्ररूप के भाग 3 में प्रस्तुत की गई है।

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान ....

तारीख .... **हस्ताक्षरित

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।
2. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।
3. **यह रिपोर्ट निम्मलिखित व्यक्ति द्वारा दी जानी है

    (*i*) चार्टर्ड अकांउटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थान्तर्गत किसी चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा; या

    (*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का का हकदार है; या

    (*iii*) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अन्य विधि के आधार पर सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए हकदार है।

भाग 2

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33कख(2) के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा नही की गई है

*मैंने/हमने.. के तारीख...................................... को यथा विद्यमान तुलन-पत्र और

[निर्धारिती का नाम और पता] [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]

उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी की जांच की है, जो..............................स्थित मुख्यालय और.. में स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप है।

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

*मैंने/हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। *मेरी/हमारी राय में, जहां तक लेखा बाहियों की* मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, नीचे दी गई टिप्पणियों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं ने समुचित लेखा बहियां रखी हैंः

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के और *मुझे/हमें दिए गए *स्पष्टीकरणों* के अनुसार उक्त लेखाओं में निम्नलिखित के संबंध में सत्य और ठीक जानकारी दी गई है

(*i*) तुलन-पत्र की दशा में तारीख...को ऊपर नामित निर्धारिती के कार्यकलाप की स्थिति की, और

(*ii*) *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी की दशा में तारीख... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ऊपर नामित निर्धारिती के लाभ अथवा आय या हानि की।

धारा 33कख(2) के अधीन किए गए कटौती के दावे के सत्यापन के लिए अपेक्षित विशिष्टियां इस प्ररूप के भाग 3 में दी गई हैं। *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भाग 3 में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

स्थान ....

तारीख ....   हस्ताक्षरित

अकाउंटेंट

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. जहां इस रिपोर्ट में कथित किसी विषय का उत्तर नहीं में अथवा सशर्त दिया गया है, वहां इस रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख होगा।

3. **यह रिपोर्ट निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा दी जानी है

(*i*) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थांतर्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

(*ii*) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी राज्य के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के आधार पर, उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में संपरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का हकदार है।

भाग 3

धारा 33कख के अधीन कटौती संबंधी दावे से संबंधित विशिष्टियों का विवरण

1. वे लेखा बाहियां जिनकी जांच की गई।
2. अपनाई गई लेखा पद्धति [कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या पूर्ववर्ष के ठीक पूर्ववर्त्ती वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति से कोई परिवर्तन किया गया है।]
3. क्या भारत में *चाय/काफी/रबड़ उगाने और उसका विनिर्माण करने के कारबार की बाबत पृथक लेखा रखे गए हैं।
4. यदि मद 3 का उत्तर हां में है तो कृपया धारा 33कख के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित ऐसे कारबार के लाभ बताएं।
5. उस दशा में, जहां पृथक् लेखा नहीं रखे जाते या उपलब्ध नहीं है वहां कृपया निम्नलिखित उपदर्शित करें

(*i*) *चाय/काफी/रबड़ उगाने या उसका विनिर्माण करने के कारबार के कुल विक्रय या आवर्त;

(*ii*) धारा 33कख के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत संगणित निर्धारिती के कारबार के कुल विक्रय या आवर्त; और

(*iii*) *चाय/काफी/रबड़ उगाने या विनिर्मित करने के बारबार का आनुपातिक लाभ।

6. “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय में से स्कीम के अनुसार पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि समाप्त होने से पूर्व या आय की विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, राष्ट्रीय बैंक में निक्षेप खाते में जमा की गई रकम। [कृपया खाता संख्यांक संबंधित राष्ट्रीय बैंक की अथवा उस बैंक की शाखा जहां निक्षेप खाता खोला गया है, और निक्षेपों की तारीखें और रकमें भी बताएं।]
7. मद 6 में निर्दिष्ट खाते से निकाली गई रकमें, रकम निकालने की तारीखों और रकमों सहित।
8. वे प्रयोजन जिनके लिए मद 7 में निर्दिष्ट रकमें निकाली गई थीं। [कृपया बताएं कि क्या यह स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं या इसे धारा 33कख(3) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया है। पश्चात्‌वर्ती मामले में विनिर्दिष्ट परिस्थितियां बताएं।]
9. उपर मद 7 में निर्दिष्ट निकाली गई रकमों में से उपयोग की गई रकमें, उस प्रयोजन और उन तारीखों के ब्यौरों सहित, जिनके लिए और जिसको रकमों का उपयोग किया गया था।
10. कृपया बताएं कि क्या किसी रकम को धारा 33कख की उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी मद के क्रय के लिए उपयोग किया गया है या उसका “कारबार या वृति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना करने में मोक के रूप में दावा भी किया गया है।
11. राष्ट्रीय बैंक से अथवा निक्षेप खाते में से निकाली गई ऐसी रकमें, जिन्हें पूर्व वर्ष के दौरान स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है।
12. क्या स्कीम के उपबंधों के अनुसार अर्जित किन्हीं आस्तियों को पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय या अन्यथा अंतरित किया गया है। यदि इसका उत्तर हां में है तो कृपयाप्रत्येक आस्ति के संबंध में अर्जन की तारीख, विक्रय या अंतरण की तारीख, विक्रय या अंतरण के लिए प्रतिफल और ऐसे व्यक्ति का (व्यक्तियों के) नाम, जिन्हें आस्ति का विक्रय या अंतरण किया गया था, पृथक्‌ रूप से उपदर्शित करें।
13. धारा 33कख के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय कटौती की रकम।

....

***हस्ताक्षरित*

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें।
2. “राष्ट्रीय बैंक” का वही अर्थ है जो उसका धारा 33कख के *स्पष्टीकरण* के खंड (*क*) में है।
3. ऊपर वर्णित “स्कीम” धारा 33कख की उपधारा (1) के खंड (*क*) में यथा निर्दिष्ट स्कीम के प्रति अथवा धारा 33कख की उपधारा (1) के खंड (*ख*) में निर्दिष्ट निक्षेप स्कीम के प्रति निर्देश करती है।
4. **रिपोर्ट का यह भाग, रिपोर्ट के भाग 1 या भाग 2 पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।
5. कृपया इस रिपोर्ट के साथ लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी तथा तुलन पत्र संलग्न करें। यदि यथास्थिति चाय या काफी या रबड़ उगाने या विनिर्मित करने के कारबार के लिए पृथक्‌ लेखा रखे जाते हैं तो ऐसे कारबार के लिए पृथक्‌ लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय विवरणी तथा तुलन-पत्र संलग्न किए जा सकेंगे।